न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 29/2019 (2019/00231) दर्ज दिनांक 24.09.2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

किशनलाल पुत्र शंकरलाल जाट निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1. अम्बालाल जाट पुत्र बेणा जाट निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री विवेकानन्द शर्मा
अधिवक्ता विपक्षी: श्री अरविंद चौधरी
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–30.09.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 232 रकबा 0.700 हे0, 233 रकबा 0.4600 हे0, 234 रकबा 0.3300 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.4900 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 153 पर स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 पेश है।

यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात एवं आम रास्ते के बीच विपक्षी की ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में खातेदारी हक अधिकार एव स्वामित्व की कृषि आराजियात जिसके खसरा नम्बर 155 रकबा 0.3500 हे0, खसरा नं0 156 रकबा 0.1100 हे0, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.1800 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.6400 हे0 भूमि है जिसे विपक्षी ने पुर्व खातेदारान से करीब 10 वर्ष पूर्व कय की जो वर्तमान में राजस्व खाता संख्या 19 पर स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 पेश है।

यह है कि प्रार्थी प्रार्थनापत्र की [illegible] संख्या 01 में वर्णित आराजियात में विपक्षी की खातदारी में दर्ज आराजी संख्या 156 रकबा 0.1100 [illegible] के आम रास्ता खसरा संख्या 159 में लगी हुई के दक्षिण दिशा की ओर [illegible] आराजियात में आता जाता है व प्राथी अपनी आराजियात में बैलगा[illegible] ले जाता है तथा [illegible] रास्ते का प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही उपयोग उपभोग करत[illegible]ला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थी उक्त वर्णित आराजियात संज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता सबसे नजदीकी व सुगम रास्ता विपक्षीगण की आराजियात में ही है, अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जिससे विपक्षीगण की आराजियात 156 की पाली से सटी हुई आराजियात में से 10 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है रास्ता सबसे कम दूरी का व सबसे सुविधाजनक रास्ता है जिससे प्रार्थी उक्त आराजी में से रास्ते की मांग कर रहा हैं व उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज हो जायेगा जिससे दिगर खातेदारों को भी सुविधा हो जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं।

यह कि उक्त आराजीयात के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए इस रास्ते की सख्त आवश्यकता है और आवश्यकता के हिसाब से प्रार्थी इस आराजी संख्या 156 में से 10 फीट का रास्ता कायम कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाया जाकर कर आवागमन का स्थायी रास्ता चाहत है और इस हेतु डीएलसी रेट से भूमि की कीमत विपक्षी को अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा में विपक्षी की आराजी संख्या 156 रकबा 0.1100 हे0 के दक्षिण दिशा वाली मेड़ से लगकर 10 फीट का रास्ते की नियमानुसार राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने व राजस्व रेकार्ड व नक्शे में किस्म बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/ 20/543 दिनांक 09.09.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :–</u>

–यह कि ग्राम सहाड़ा के आराजी नं0 156 में मौका अनुसार कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। तथा राजस्व रेकार्ड में भी कोई रास्ता नहीं है।

–यह कि प्रार्थी की आराजियात में आवागमन हेतु मौके पर रास्ता बना हुआ नहीं है। आराजी नं0 159 बिलानाम रास्ता आराजी नं0 156 तक है।

– यह कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

– यह कि वर्तमान में विपक्षी [illegible] आराजी नं0 229 व 230 में मौके पर बने हुए रास्ते से होकर नगर पालिका आराजी नं0 237 व अन्य खातेदार मेहरबान खां की आराजी नं0 236 से होकर जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

– यह कि विपक्षी अम्बालाल द्वारा, बताये अनुसार आराजी नं0 156 से रास्ता देने को सहमत नहीं है एवं आराजी नं0 230 व 231 की पश्चिमी मेड़ पर 12 फीट चौड़ा रास्ता 56 मीटर की लम्बाई तक देना चाहता है। जिसका रकबा आराजी नं0 230 में से 0.0128 है0 तथा आराजी नं0 231 में से 0.0096 है0 कुल 0.0224 है0 कुल रकबा बनता है, ग्राम सहाड़ा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 5,19,222/– प्रति है0 निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि 0.0224 है0 भूमि की मालियत 11631/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 23262/– होती है।

– यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार आराजी नं0 156 में रास्ते हेतु 0.0224 है0 भूमि प्रभावित होगी। ग्राम सहाड़झ की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 5,19,222/– प्रति है0 निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि 0.0224 है0 भूमि की मालियत 11631/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 23262/– होती है।

–यह कि वर्तमान रास्ता, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता, व विपक्षी जो रास्ता देना चाहता है जिन्हें राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि मौके पर इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व विपक्षी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्राथी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। तथा प्रार्थना – पत्र को चाही गई रिलिफ अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी के अधिवक्ता ने विपक्षी द्वारा बतायी गई आराजियात में से ही रास्ता देने हेतु निवेदन किया एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई आराजियात में से रास्ता देने हेतु विरोध किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा की आराजी संख्या 232, 233, 234 में आवागमन करने के लिऐ एक मात्र रास्ता जो ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा में विपक्षी की आराजी संख्या 156 रकबा 0.1100 है0 के दक्षिण दिशा वाली मेड़ से लगकर 10 [illegible] खातेदारी आराजी संख्या 156 से नजदीक एवं बिलानाम रास्ते से जुड़ा है। मौ[illegible] पोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से [illegible] कुषि भुमि आराजी नं0 232, 233, 234 में आने जाने के [illegible] लिऐ विपक्षी की आराजी संख्या 156 के दक्षिण दिशा वाली मेड़ से लगकर 10 फीट चौड़ा[illegible] रास्ता प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु 10 फीट चौडा रास्ता यानि 0.0224 है0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :- 29/2019 (2019/00234)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा की आराजी संख्या 232, 233, 234 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 156 के दक्षिण दिशा वाली मेड़ से लगकर 10 फीट चौड़ाई का रास्ता यानी 0.0224 हे0 भुमि प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 5,19,222/- है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 11631/-होती है। इसकी दुगुनी राशि 23262/-प्रार्थी विपक्षीगण संख्या 1 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0224 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 23262/- प्रार्थी से वसुल कर विपक्षी संख्या 1 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा की आराजी संख्या 232, 233, 234 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 156 के दक्षिण दिशा वाली मेड़ से लगकर 10 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की आराजीयात में प्रवेश हेतु 0.0224 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner